"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279] रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 नवम्बर 2012—कार्तिक 14, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक फ 6-8/2012/1/एक.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यकता होने पर प्रति वर्ष लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वा ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, ऊर्जा विभाग एवं आदिम ाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के निम्नांकित सेवाओं/पदों पर भरती के लिए राज्य अभियांत्रिकी ेवा परीक्षा नामक एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी :—

सेवा/पद की श्रेणी

1.	सहायक अभियंता (सिविल)	द्वितीय
2.	सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी)	द्वितीय
3.	सहायक अभियंता (विद्युत)	द्वितीय
4.	सहायक अभियंता (यांत्रिकी)	द्वितीय
5.	सहायक अभियंता (इलेक्ट्रानिक्स)	द्वितीय
6.	सहायक अभियंता (कम्प्यूटर साईंस)	द्वितीय
7.	सहायक अभियंता (कृषि)	द्वितीय
8.	विद्युत निरीक्षक/सहायक अभियंता (विद्युत)	द्वितीय
9.	अन्य सेवाएं/पद जिन्हें शासन आयोग की सहमति से शामिल करना चाहे.	

(2) **यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा निम्नानुसार होगी :—**

(a) राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार) जिसके द्वारा अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जायेगा.

(b) संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे.

(i) समस्त अभ्यर्थियों को भले ही उन्होंने किसी सेवा/पद विशेष को अधिमान दिया हो, परीक्षा योजना (परिशिष्ट-एक) में उल्लेखित अनुसार उतनी ही संख्या में प्रश्न पत्र देने होंगे.

(3) (a) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के तीन प्रश्न पत्र होंगे, जिनमें पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता से संबंधित होगा एवं शेष दो प्रश्न पत्र संबंधित विषय के होंगे. द्वितीय चरण में साक्षात्कार सम्पन्न होगा.

(b) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम, उनके द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार क्रमिक रूप से रखे जायेंगे, इन अभ्यर्थियों में से अधिक से अधिक विभिन्न प्रवर्गों के अधीन कुल पद संख्या के तीन गुना के बराबर तथा प्रवर्गवार अंतिम अभ्यर्थी के बराबर अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण (साक्षात्कार) के लिए अर्ह माना जाएगा.

(c) (i) साक्षात्कार के पश्चात् आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के नाम लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में उन्हें दिए गए कुल अंकों के अनुसार योग्यता क्रम में रखे जाएंगे.

किसी सेवा विशेष के लिए किसी अभ्यर्थी की सिफारिश करते समय, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, आवेदन में उसके द्वारा व्यक्त किये गये अधिमान पर यदि कोई हो, सम्यक् रूप से विचार किया जायेगा.

(a) यदि किसी अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में कोई अधिमान व्यक्त न किया हो तो उसके संबंध में सभी पदों के लिए उस क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से वे विज्ञापन में दिए गए हों.

(b) यदि अभ्यर्थी अपने अधिमान वाले किसी पद के लिए अंक प्राप्त करने में सफल न हो उसके संबंध में अन्य पद/पदों के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उसी क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से वे विज्ञापन में दिए गए हैं तथापि उसका विचार उन पदों के लिए नहीं किया जायेगा जिन पदों के लिए उसने अनिच्छा व्यक्त किया हो कि उसका विचार नहीं किया जाये.

(c) उपर्युक्त सिद्धान्त अनुपूरक सूची तैयार करते समय भी लागू होगा.

(ii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के मामलों में प्रत्येक पद के लिए योग्यता सूची रक्षित रिक्त स्थानों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार पृथक रूप से तैयार की जायेगी. यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का कोई अभ्यर्थी उसके कुल अंकों के आधार पर अनारक्षित सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसे अनारक्षित सूची में दर्शाया जाएगा और उसकी इस शर्त के अध्यधीन रक्षित रिक्त स्थानों में उसकी गणना नहीं की जाएगी.

(iii) महिला एवं विकलांग का निर्धारित प्रतिशत में समस्तर एवं प्रभागवार पदों की गणना करके प्रत्येक वर्ग में से ही विशेष आरक्षण की सुविधा तभी प्रदान की जाएगी जब निर्धारित संख्या में उनका चयन नहीं हो पाता हो.

(d) आयोग प्रत्येक पद के लिए प्रमुख सूची में दी गई अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत तक के अभ्यर्थियों की प्रवर्गवार एक अनुपूरक सूची भी तैयार करेगा.

(4) आयोग की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात् शासन अभ्यर्थियों के बारे में ऐसी जांच पड़ताल करेगा, जो वह यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित समझे कि वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त हैं. शासन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

(5) **पात्रता संबंधी शर्तें—**

(a) **राष्ट्रीयता —** अभ्यर्थी, भारत का नागरिक होना चाहिए.

(b) **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :—** अभ्यर्थी को भारत में किसी केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-1956 की धारा-3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की संबंधित सिविल/यांत्रिकी/इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर साईंस/विद्युत/कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि होना चाहिए.

टीप :— अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का "प्रमाण पत्र" आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त कर लिया होना चाहिए. आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को जारी किए गए शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे.

(c) **आयु—**

(i) अभ्यर्थी की आयु प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख के बाद की 1 जनवरी को 21 वर्ष से कम न हो और 30 वर्ष से अधिक न हो, किंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी/मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रहेगी.

(a) परन्तु यह कि राज्य शासन सेवाओं की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए इन नियमों में शामिल सेवाओं में से किसी सेवा के लिए न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा में परिवर्तन कर सकता है.

(ii) ऊपर विहित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी :—

(a) अधिकतम पांच वर्ष तक : यदि छत्तीसगढ़ का अधिवासी कोई अभ्यर्थी ऐसी जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित की गई हो.

(b) अधिकतम तीन वर्ष तक : यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित स्थानों में भारतीय मूल के वास्तविक स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति हों :—

(1) बर्मा से, जिसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत प्रव्रजन किया हो :

या

(2) श्रीलंका से जिसने 1 नवम्बर, 1964 के पश्चात् भारत प्रव्रजन किया हो

या

(3) यदि अभ्यर्थी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और जिसने 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि के दौरान भारत प्रव्रजन किया हो,

(c) अधिकतम 8 वर्ष तक : यदि अभ्यर्थी ऊपर (दो) में उल्लिखित स्वदेश प्रत्यावर्तित या विस्थापित व्यक्ति हो और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित किए अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तथा छ.ग. में अधिवासित हो,

(d) अधिकतम 5 वर्ष तक : यदि अभ्यर्थी अपनी प्रथम नियुक्ति के समय विधवा हो,

(e) अधिकतम 2 वर्ष तक : यदि अभ्यर्थी के पास परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अपने नाम पर ग्रीनकार्ड हो,

(f) अधिकतम 5 वर्ष तक : यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक सी. 10-85-3-1, दिनांक 03-09-1985 के अनुसार आदिमजाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रवर्तित अन्तर्जातीय विवाह योजना अधीन पुरस्कार प्राप्त युगल में उच्च जाति का हो.

(g) अधिकतम 5 वर्ष तक : यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग, (छत्तीसगढ़) के ज्ञापन क्रमांक-एफ-19-2/2005/1-3 रायपुर दिनांक 01-12-2006 के अनुसार राजीव पाण्डे पुरस्कार प्राप्त, गुण्डाधुर सम्मान प्राप्त, महाराजा प्रवीणचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ी हो अथवा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हो,

(h) अधिकतम 3 वर्ष तक : सुरक्षा सेवा कर्मचारी के मामले में, जो किसी दूसरे देश से हुए युद्ध के दौरान या अशान्त क्षेत्र में किसी फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हो और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(i) अधिकतम 8 वर्ष तक : यदि उपर्युक्त श्रेणी (आठ) के अन्तर्गत आने वाला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(j) अधिकतम 3 वर्ष तक : ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो वियतनाम से भारतीय मूल को वास्तविक प्रत्यावर्तित (भारतीय पासपोर्ट धारी) व्यक्ति हो तथा साथ ही ऐसा अभ्यर्थी जो वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा उसे जारी किया गया, आपातकाल प्रमाण पत्र धारित कर रहा हो तथा जो वियतनाम से भारत में जुलाई, 1975 के पूर्व न आया हो,

(k) अधिकतम 8 वर्ष तक : यदि उपर्युक्त श्रेणी (दस) के अन्तर्गत आने वाला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(l) अधिकतम 5 वर्ष तक : ऐसे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन्ड आफिसर्स, जिनमें ई.सी.ओ./एस.एस., सी.ओ. शामिल हैं, के मामले में जिन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती 1 जनवरी को सैनिक सेवा के कम से कम 5 वर्ष पूरे कर लिए हों और जिन्हें दूराचरण या अक्षमता अथवा सैनिक सेवा के दौरान हुई शारीरिक अक्षमता या अशक्तता के कारण बर्खास्त या सेवा मुक्त किए जाने से भिन्न स्थिति में सेवा पूरी करने पर निर्मुक्त किया गया था, इनमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिनकी सेवावधि उक्त तारीख से छह माह के भीतर समाप्त होने वाली है,

(m) अधिकतम 10 वर्ष तक : यदि उपर्युक्त श्रेणी (बारह) के अन्तर्गत आने वाला अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(n) अधिकतम 10 वर्ष तक : महिलाओं के लिए—यहां राजपत्र (असाधारण) दिनांक 07-02-1997 में प्रकाशित नियम छ.ग. सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की आयु दस वर्ष शिथिलनीय होगा.

(o) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी या राज्य शासन के उपक्रम के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी को 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

टीप :— पद अस्थायी शासकीय कर्मचारी में ऐसा व्यक्ति शामिल है जो सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-2998-सी.आर. 444-एक (3)/63, दिनांक 30-11-1963 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन का कार्यभारित कर्मचारी या आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला कर्मचारी हो यह छूट स्वीकार्य नहीं होगी यदि अभ्यर्थी परीक्षा के या तो पहले या बाद में त्याग पत्र दे दे तथापि वे पात्र बने रहेंगे यदि वे अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से छटनी किए गए हों.

(p) अधिकतम 3 वर्ष तक : यदि अभ्यर्थी छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो तो उसकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में पूर्ण की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की अवधि कम करने के पश्चात् बशर्ते कि यह सेवा एक से अधिक बार में की गई हो.

स्पष्टीकरण :— पद "छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से अभिहित है ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की या उसकी संघटक इकाइयों में से किसी इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की निरन्तर अवधि तक रहा हो और रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने

की या शासकीय सेवा में नियोजन सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(q) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1-2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 2 जून, 2004 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा कर्मियों की शासकीय सेवाओं के लिये निर्धारित आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाये जितने वर्ष उसने शिक्षा कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष आयु की सीमा तक रहेगी.

(r) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 3-2/2002/1-3 रायपुर दिनांक 30-01-2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 के नियम-5 के तहत संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है. यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी.

टीप :— उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त राज्य सेवा में भर्ती हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा आदि के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

(6) नियम 5 (c) में दी गई स्थिति को छोड़ विहित आयु सीमाओं में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी. अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो. आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि दर्ज हो जाने के बाद उसमें किसी परिवर्तन की किसी मांग पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा.

(7) **अनर्हता :—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :—

(a) कोई भी पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी.

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा.

(b) कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए.

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी उम्मीदवार को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी.

(c) कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है.

(d) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा.

(e) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा.

(f) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा. परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(8) अभ्यर्थी का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे सेवा विशेष के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो. कोई अभ्यर्थी, जो ऐसी चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करे, इन अपेक्षाओं के अनुसार न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जाएगा, केवल ऐसे अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो.

(9) आयोग अभ्यर्थियों को किसी विशेष सेवा के लिए उनकी पात्रता के बारे में सलाह नहीं दे सकता. अभ्यर्थियों को स्वयं यह देखना होगा कि क्या विहित आवश्यकता (शर्तें) पूरी करते हैं और क्या आवेदन करना उनके लिए सार्थक होगा. आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थियों को इस बात से स्वयं समाधान कर लेना चाहिए कि वे ऐसी सेवा के लिए विहित न्यूनतम आवश्यकताओं (शर्तों) को पूरा करते हैं.

(10) परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है.

(11) परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्य बातों के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा. इस मुद्दे पर कोई अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा. परीक्षा में प्रवेश अनन्तिम होगा, यदि बाद की तारीख के सत्यापन के समय यह पता चलता है कि, अभ्यर्थी पात्रता की समस्त शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी. यदि उसका दावा गलत पाया जाता है तो आयोग द्वारा नीचे दिए गए नियम 14 के निबंधनों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी.

इस तथ्य का कि अभ्यर्थी को परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि, उसकी अभ्यर्थिता को आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है या यह कि परीक्षा के लिए आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और शुद्ध रूप में स्वीकार कर ली गई हैं.

यह बात ध्यान में रखी जाए कि मूल दस्तावेजों के संदर्भ में अभ्यर्थी की पात्रता की शर्तों का सत्यापन अभ्यर्थी के परीक्षा में योग्य पाए जाने के बाद किया जाएगा और जब तक आयोग द्वारा अभ्यर्थी की अंतिम रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती तब तक यह अनंतिम ही रहेगी.

(12) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डॉउनलोड कर परीक्षा में शामिल हो सकता है.

(13) (a) आयु में किसी छूट या किसी अन्य रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्रों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त मूल प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए. ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में किसी छूट/रियायत के हकदार होने के बारे में उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा.

(b) ऐसे अभ्यर्थी को जो छत्तीसगढ़ के छटनी किए गए शासकीय सेवक के रूप में आयु छूट के लिए दावा करता है उस विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जहां से उसे छटनी किया गया था उसमें उसके द्वारा धारित प्रत्येक पद का नाम और प्रत्येक पद पर उनकी नियुक्ति तथा पद छोड़ने की तारीख का उल्लेख होगा और यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि स्थापना में कटौती के कारण उसे सेवामुक्त किया गया था. उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए.

(c) भूतपूर्व सैनिक के रूप में आयु में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने विगत मंत्रालय/कार्यालय से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उसकी प्रतिरक्षा सेवा के प्रारंभ होने तथा सेवामुक्त होने की तारीखों का उल्लेख होगा और यह कि उसे मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना सामान्य कमी के कारण, जो भी स्थिति हो, छटनी

किया गया था या अधिक घोषित किया गया था. उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए.

(14) ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो :—

(a) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो,

(b) उद्मारूप प्रतिरूपण धारण किया हो, या

(c) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया/किया हो,

(d) झूठे दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

(e) ऐसे बयान दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी स्तर पर सारभूत जानकारी छिपाई हो, या

(f) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो,

(g) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

(h) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(i) उनके प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(j) परीक्षा कक्ष में साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो. आपराधिक अभियोजन के लिए उसे दोषी ठहराने के अलावा :—

(i) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, अयोग्य ठहराया जा सकेगा और/या

(ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जावेगा,

(a) आयोग द्वारा परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले चयन से

(b) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(iii) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु यह कि, इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि :—

(a) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(b) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किए अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो.

(15) नियत अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा.

(16) आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि, वह आवेदन पत्र में दिए गए अधिमान को दृष्टि में रखकर अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र आवंटित करे.

(17) परीक्षा की अंक सूचियां अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त होंगी.

(18) आयोग, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों के यात्रा या अन्य व्ययों की पूर्ति नहीं करता है, छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के रूप में अधिसूचित, अनुसूचित जाति या

अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जो छत्तीसगढ़ में अधिवासित हो तथा पहले से सेवा में न हो। वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2030-छ-आर दो, दिनांक 22-06-1963 के अनुसार यात्रा व्यय केवल बस या रेल के वास्तविक किराये का भुगतान किया जायेगा. देयक फार्म संबंधित परीक्षा या मौखिक परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे. इस सत्यापन के बाद कि उम्मीदवार ने वास्तव में परीक्षा दी है, भुगतान किया जायेगा.

(19) किसी विशेष सेवा के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो शासन द्वारा विहित की जाये, उन्हें छत्तीसगढ़ में किसी भी स्थान पर सेवा करनी होगी और उन्हें दी गई नियुक्ति को तत्काल स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिये. नियुक्ति के समय जैसा राज्य शासन चाहे कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य शासन की सेवा करने के लिए एक बंध पत्र निष्पादित करना होगा.

(20) **निरसन तथा अपवाद :—** इन नियमों से तत्संबंधी सभी नियम जो इनके प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व लागू हों, एतद्द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में निरसित किए जाते हैं :—

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही मानी जाएगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

परिशिष्ट-"एक"

परीक्षा योजना

(1) यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा निम्नानुसार होगी :—

(i) राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) जिसके माध्यम से राज्य अभियांत्रिकी सेवा द्वितीय चरण (साक्षात्कार) हेतु उम्मीदवारों का अर्हता निर्धारण किया जाएगा.

(ii) **द्वितीय चरण (साक्षात्कार)—** लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं तथा पदों के लिये उम्मीदवारों का चयन अधिमान्यता के आधार पर किया जाएगा.

(2) (i) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के तीन प्रश्नपत्र होंगे,
प्रथम प्रश्न पत्र :— इस प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे.

द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्र :— सिविल/यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर साईंस/कृषि अभियांत्रिकी से संबंधित होंगे, जिनमें से किसी एक विषय में परीक्षा देनी होगी.

(ii) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहु विकल्प प्रश्न) प्रकार के होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिये पांच संभाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स, द और इ में समूहीकृत किया जाएगा जिनमें से केवल एक उत्तर सही/निकटतम सही होगा, उम्मीदवार को उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही/निकटतम सही माने गये अ, ब, स, द या इ में से केवल एक पर चिन्ह लगाना होगा.

(iii) प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक प्राप्त होंगे. अभ्यर्थी केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दें जिनके संबंध में वे आश्वस्त हों कि वह उत्तर सही है. क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर पर एक अंक कम किया जाएगा. [कुल प्राप्त अंक (2R-W) होंगे जहां R= सहीं उत्तरों की संख्या एवं W= गलत उत्तरों की संख्या]

(3) **लिखित परीक्षा :—**

(i) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) में वस्तुनिष्ठ प्रकार के तीन प्रश्न पत्र निम्नानुसार होंगे :—

प्रश्न पत्र-I	सामान्य अध्ययन			
	प्रश्नों की संख्या	150	2.30 घंटे	अंक 300
प्रश्न पत्र-II	अभियांत्रिकी (सिविल/यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर साईंस/कृषि अभियांत्रिकी) भाग-1			
	प्रश्नों की संख्या	150	2.30 घंटे	अंक 300
प्रश्न पत्र-III	अभियांत्रिकी (सिविल/यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स/कम्प्यूटर साईंस/कृषि अभियांत्रिकी) भाग-2			
	प्रश्नों की संख्या	150	2.30 घंटे	अंक 300

(ii) प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय अवधि 2.30 घंटे की होगी.

(iii) प्रथम प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा. अन्य प्रश्न पत्र अंग्रेजी में होंगे.

(iv) लिखित परीक्षा के अन्तर्गत उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में अर्हकारी अंक केवल 30 प्रतिशत होंगे.

(4) साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, विज्ञापन में दी गई संबंधित अभियांत्रिकी विषय के रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग तीन गुणी होगी. केवल वे उम्मीदवार, जिन्हें आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अर्ह घोषित किया जावेगा, वे साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे.

(5) **साक्षात्कार :—** साक्षात्कार के लिये 100 अंक होंगे (इसके लिए कोई अर्हकारी न्यूनतम अंक नहीं होंगे).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.